झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0— 0651—2261000,2261856—2261002 मेल आई0डी0—nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 549(MD)

राँची, दिनांक : 15.06.18

Bridge Course Programme अन्तर्गत विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (अनारक्षित कोटि—105, अनुसूचित जनजाति कोटि—55, अनुसूचित जाति कोटि—21, पिछडा वर्ग—I कोटि—17 एवं पिछडा वर्ग—II कोटि—12, कुल = 210) पदो की नियुक्त हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के विज्ञापन सं0 — जे0सी0ई0सी0ई0बी0/49/18—29 दिनांक 15.06.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन के क्रमांक 11 के आलोक में अन्य आवश्यक सूचनाए निम्नांकित है —

(i) संविदा के आधार पर कर्मचारियों की कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हे कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा।

(ii) संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आवश्यकतानुसार इसे एक—एक साल में Annual Performance Appraisal के आधार पर बढ़ायी जा सकती है। भविष्य में नियमितिकरण हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(iv) समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

(v) नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी चरण में नियुक्ति रद्द करने की शक्ति समिति में निहित है।

(vi) नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक अर्हता नहीं पूर्ण करने अथवा अपूर्ण या गलत सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता को रद्द किया जा सकता है।

(vii) प्रशिक्षण के दौरान बोर्डिंग एवं आवास भत्ते, IGNOU शुल्क, Training के लिए परिवहन एवं अन्य प्रशिक्षण संबंधी लागतों का वहन झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को एक निश्चित मानदेय/छात्रवृति प्राप्त हो सकती है।

(viii) सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (Community Health Officer) के पद हेतु प्रतिमाह मानदेय रू0 40000.00 तक अधिकतम (रू0 25000.00 मूल मानदेय + अतिरिक्त रू0 15000.00 CHO के रूप में पदस्थापित होने के बाद कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में स्वीकार्य होगा।

(ix) प्रशिक्षण के उपरोन्त राज्य द्वारा चिन्हित किसी भी Health & Wellness Centre में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा सकता है।

12. JCECEB द्वारा परीक्षा फल प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन IPH, Namkum, Ranchi में किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने मूल प्रमाण पत्रो के साथ प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु तैयार रहगे, उन्हें किसी भी समय सूचना प्राप्त हो सकती है।

(अभियान निदेशक)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/49/18 – 29 ,राँची/दिनांकः 15/06/2018

सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए Bridge Course Programme में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचना–

(Important Information Regarding Convening of Competitive Examination for Admission in Bridge Course Programme for Selection on the post of Community Health Officer)

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची के पत्रांक लो0स्वा0सं0/2017–18/62–540 (MD) दिनांक 14.06.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि Bridge Course Programme अन्तर्गत विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (अनारक्षित कोटि–105, अनुसूचित जनजाति कोटि–55, अनुसूचित जाति कोटि–21, पिछडा वर्ग–I कोटि–17 एवं पिछडा वर्ग–II कोटि–12, कुल=210) को नियुक्त किया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा Online प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को Community Health में छः माह का Bridge Course Programme करना है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त Course के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जायेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का नवीकरण का भी प्रावधान होगा।

उपरोक्त के आलोक में उपयुक्त आवेदकों से, जो भारत के नागरिक होने के साथ–साथ झारखण्ड राज्य के स्थायी/ स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और निम्न कंडिका–2, 3 एवं 4 में अंकित शैक्षणिक, आयु–सीमा एवं जाति आधारित आरक्षण (यदि लागू हो तो) की योग्यता धारित करते हैं, उनसे विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰ – 3198, दिनांक 18.04.2016 में **स्थानीय निवासी** को परिभाषित किया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाइट **http://jceceb.jharkhand. gov.in** के Homepage पर Act & Circulars कॉलम में देखा जा सकता है। स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **पदीय शैक्षणिक अर्हत्ता एवं वांछित अर्हत्ता :–**

Essential Eligibility Criteria:

i) General Nursing and Midwifery (GNM) RNRM from a recognized Institute/Bachelor of Science in Nursing from a recognized Institute/University.

ii) At least 2 years of relevant work experience in the Health sector.

Desirable Criteria:

i) Proficiency in regional/local language and dialect.

ii) Work experience in the Public Health System, preferably at the Primary/Community Health Center level.

3. **आयु–सीमा** – आयु–सीमा की गणना दिनांक 01.05.2017 (इस तिथि सहित) को आधार मानकर किया जायेगा। विभिन्न कोटियों के आवेदकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा निम्नवत है:–

कम सं0	कोटि	अधिकतम आयु (वर्षों में)	दिव्यांग आवेदकों के लिए अधिकतम आयु (वर्षों में)
1	अनारक्षित	35	40
2	पिछड़ा वर्ग-I / पिछड़ा वर्ग -II	37	42
3	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग-I/ पिछड़ा वर्ग – II)	38	43
4	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40	45

4. **जाति आधारित आरक्षण** – आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण–पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का॰ प्र॰सु॰ तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ0नि0–018–10/2003 का0 7072 दिनांक 30.12.2003) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी।

अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्त्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हत्ता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा–सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का0–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा (संदर्भः का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886, दिनांक 21.09.2011)।

जाति प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग–जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :–

निःशक्तता का प्रवर्ग		आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आकांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या	1
(ड.)	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	

6. <u>आवेदन पत्र की उपलब्धता</u> – आवेदक पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage Page पर "Admission in Bridge Course Programme– 2018 Online Application Form Submission" बटन पर Click कर, दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 17.06.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

7. <u>फोटोग्राफ</u> – ऑनलाईन आवेदन पत्र में हाल का खिंचाया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, का ही scanned image, upload करना है। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

8. <u>परीक्षा तिथि</u> – उक्त परीक्षा दिनांक 08.07.2018 से दिनांक 10.07.2018 के बीच राँची जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों पर Online आयोजित की जायेगी। आवेदकों को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड (Download) की सुविधा दिनांक 03.07.2018 से उपलब्ध करायी जायेगी एवं उसी तिथि से Online परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु आवेदकों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे पर्षद के अधिकृत बेवसाईट में उपलब्ध Link पर Mock Test Rehearsal कर सकते हैं।

9. <u>परीक्षा का स्तर एवं प्रकार</u> – परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्प (Multiple choice) प्रकृति के होंगे तथा परीक्षा का स्तर General Nursing and Midwifery पाठ्यक्रम का होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे जो द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी एवं हिन्दी में होंगे। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

10. <u>मेधा–सूची</u> – परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेधा–सूची के साथ–साथ कोटिवार मेधा–सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम General Nursing and Midwifery /Bachelor of Science in Nursing में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार

पर तथा यह भी स्थिति समान होने पर पहले जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को मेधा–सूची में वरीयता दी जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण निर्गत संकल्प संख्या–15838 दिनांक 22.12.1990 एवं 10258 दिनांक 05.08.1991 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है:–

अनारक्षित कोटि	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II कोटि	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I कोटि	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति कोटि / अनुसूचित जनजाति कोटि /सभी कोटि की महिला	32 प्रतिशत

11. <u>अन्य आवश्यक सूचनाएँ</u>– इस संबंध में यदि किसी आवेदक को विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, नामकुम, राँची के कार्यालय/अधिकृत बेवसाइट **http://jrhms.jharkhand. gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

17/4/18

सुरेन्द्र कुमार, भा॰प्र॰से॰
परीक्षा नियंत्रक